

कालुराम वनाग मुखचन्द व अन्य

क्र. सं. 62/2020
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं. दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

01/5/24

वादी को अंतिम अवसर दिया जाता है इसके उपरान्त की अदेखित कार्यवाही प्रणाली रूप से प्रस्तुत नहीं होगी। निम्नानुसार उचित कार्यवाही कराए जाने जावेगी। पगावली वास्ते तलकी परिवारी 3 तथा जवाब काउन्टर प्रमाण 07.5.24 को देना है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कार्यालय-जयपुर

07/5/24

पगावली पेशा है। अधिवक्ता परिवारी 1, 2 अधिष्ठाता। वादी को अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को अधिवक्ता को न्यायालय समक्ष समाप्त कर कर कावाज लगाने के उपरान्त की वादी को अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

पगावली का अपलोडिंग किया गया। पगावली वास्ते तलकी परिवारी 3 तथा जवाब काउन्टर प्रमाण हुए निपट हैं। जो वादी द्वारा निगल हुआ उपरान्त की प्रस्तुत नहीं की गई है तथा आज निपट नगरेय पेशा पर अनुपस्थित हुए। वादी वादी कदम दलकी कदम परकी में शारीर किया जाता है। पगावली पेशा शुभान देखा दल जबर से कम है। वादी नगरील शारीर दपल है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कार्यालय-जयपुर

